अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया —

गीतादेवी पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. गिरधारीलाल पुत्र धनाराम
2. दयालराम पुत्र धनाराम
3. रामनिवास पुत्र धनाराम
4. कुनणीदेवी पुत्री धनाराम
5. मन्नीदेवी पुत्री धनाराम
6. सन्तोषदेवी पुत्री धनाराम
7. गोदावरीदेवी पत्नि सुगनाराम
8. मनोहर पुत्र सुगनाराम
9. बोदूराम पुत्र सुगनाराम
10. मुकेशीदेवी पुत्री सुगनाराम
    जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी।
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी।

मुकदमां नम्बर :— 117/2023 **निर्णय दिनांक :— 28.12.2023**

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादीया एवं श्री आनन्दीलाल गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 10 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा के भाग नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 733/372 रकवा 0.40 हैक्टर कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि में वादीया का नाम मन्जूदेवी पुत्री धनाराम के स्थान पर गीतादेवी पुत्री धनाराम दुरूस्त कर घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 373, 733/372 कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि में खातेदार झमरीदेवी पत्नि धनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 2 दयालराम को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 4 कुनणीदेवी को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 5 मन्नीदेवी को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 6 सन्तोषदेवी को 1/72 हिस्सा का, वादीया गीतादेवी को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 7 गोदावरी को 1/288 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 8 मनोहर को 1/288 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 9 बोदूराम को 1/288 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 10 मुकेशीदेवी को 1/288 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 373, 733/372 कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि में खातेदार सुगनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7 गोदावरी को 1/36 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 8 मनोहर को 1/36 हिस्सा का, प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

संख्या 9 बोदूराम को 1/36 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 10 मुकेशीदेवी को 1/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु उपतहसीलदार चितावा को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः [signature]

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महनताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रीक	NIL	NIL
मीजान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:08 IST
Reason: SelfAttested

गीतादेवी बनाम गिरधारीलाल वगैरह
मुकदमा नम्बर 117/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)
पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया –

गीतादेवी पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गिरधारीलाल पुत्र धनाराम
2. दयालराम पुत्र धनाराम
3. रामनिवास पुत्र धनाराम
4. कुनणीदेवी पुत्री धनाराम
5. मन्नीदेवी पुत्री धनाराम
6. सन्तोषदेवी पुत्री धनाराम
7. गोदावरीदेवी पत्नि सुगनाराम
8. मनोहर पुत्र सुगनाराम
9. बोदूराम पुत्र सुगनाराम
10. मुकेशीदेवी पुत्री सुगनाराम
    जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी।
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी।

<u>दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती व खातेदारी अधिकारों की घोषणा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादीया
श्री आनन्दीलाल गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 10

मुकदमा नम्बरः 117/2023 निर्णय दिनांक :– 28.12.2023

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 ता 10 एक ही परिवार के है तथा स्वर्गीय झमरीदेवी पत्नि धनाराम के वंशज वारिसान है जिनका सजरा खानदान वाद पत्र में पेश किया। राजस्व ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा के भाग नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 733/372 रकवा 0.40 हैक्टर कुल रकबा 3.55 हैक्टर स्थित रही है। उपर्युक्त खसरा नम्बर 373, 733/372 कुल रकबा 3.55 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादीयां के पिता धनाराम के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों में रही खातेदार धनाराम का स्वर्गवास होने पर उपर्युक्त आराजीयात भूमि पर वादीयाँ गीतादेवी व सुगनाराम, गिरधारीलाल, रामनिवास, दयालराम, कुनणीदेवी, मन्नीदेवी, सन्तोषदेवी के जरिये उत्तराधिकार काबिज बतौर खातेदार हुए। इस प्रकार उपर्युक्त आराजीयात भूमि में 1/9 हिस्सा वादीयाँ गीतादेवी का, 1/9 हिस्सा सुगनाराम का, 1/9 हिस्सा गिरधारीलाल का, 1/9 हिस्सा रामनिवास का, 1/9 हिस्सा दयालराम का, 1/9 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

कुनणीदेवी का, 1/9 हिस्सा मन्नीदेवी का, 1/9 हिस्सा सन्तोषदेवी का व 1/9 हिस्सा झमरीदेवी का जरिए विरासत रहा। वादीयां के भाई सुगनाराम का स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गीय सुमनाराम के 1/9 हिस्से पर उसके वारिसान्/उत्तराधिकारीगण/प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 काबिज चले आ रहे है जिनको वाद पत्र में पक्षकार प्रतिवादीगण है तथा वादीयां की माता झमरीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। वादीया की माता झमरीदेवी के 1/9 हिस्से पर सजरा परिवार अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 काबिज चले आ रहे हैं। वादीया विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु वांछित नकुलात प्राप्त की तो ज्ञात हुआ की वादीयां के पिता धनाराम का स्वर्गवास होने पर राजस्व रिकार्ड में वादीयां गीतादेवी के नाम का खातेदारी का इन्द्राज करते समय मूल एंव अज्ञानता वश वादीया मंजूदेवी दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीया का वास्तविक दस्तावेजी सही नाम गीतादेवी है जो एक सद्भावी भूल में शुमार है। जिसका वादीया रेकर्ड दुरूस्ती करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादियां के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड व भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में सही नाम गीतादेवी दर्ज हैं। इन सब साक्ष्य दस्तावेजो के साथ ग्राम पंचायत ने वादीयां के पक्ष में एक प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें ग्राम पंचायत ने यह अभिकथित किया है कि गीतादेवी व मंजूदेवी नाम की एक ही महिला है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि में ही वादीया गीतादेवी की जगह मंजूदेवी दर्ज हो गया है जिससे वादीयां को भारी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। वादीया की माता खातेदार झमरीदेवी पत्नि धनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर वादीयों गीतादेवी व प्रतिवादीगण गिरधारीलाल, रामनिवास, दयालराम, कुनणीदेवी, मन्नीदेवी, सन्तोषदेवी व मृतक खातेदार सुगनाराम के वारिसान् गोदावरी, मनोहर, छोटूराम व मुकेशदेवी तथा मृतक सुगनाराम के स्थान पर गोदावरी, मनोहर, बोदूराम व मुकेशदेवी खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 स्वर्गीय झमरीदेवी व स्वर्गीय सुगनाराम के वारिस होने से एंव प्रतिवादी संख्या 11 प्रतिनिधि सरकार होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण है। राजस्व ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 733/372 रकबा 0.40 हैक्टर कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि में वादीयां मंजूदेवी पुत्री धनाराम के स्थान पर सही व दस्तावेज नाम गीतादेवी पुत्री धनाराम रेकार्ड दुरूस्त कर स्वर्गीय झमरीदेवी पत्नि धनाराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 को तथा स्वर्गीय सुगनाराम पुत्र धनाराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 07 ता 11 को खातेदार काश्तकार घोषित कर इस आशय की रेकार्ड दुरूस्ती व खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादीयां व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 फरमाकर इस आशय की तहरीर तहसीलदार कुचामन सिटी को जारी करने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल गुर्जर ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा ... नवीन खसरा नम्बर 373 रकमा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 733/372 रकबा 0.... हैक्टर कुल रकबा 3.56 हैक्टर स्थित रही हैं। उपयुक्त खसरा आराजीयात सम्पूर्ण भूमि ... के कब्जाकाश्त एवं खातेदारी अधिकारी में रही खातेदार धनाराम ... उपर्युक्त आराजीयात भूमि पर गीतादेवी, सुगनाराम, गिरधारीलाल, रामनिवास, दयालराम, कुनणीदेवी, मन्नीदेवी, सन्तोषदेवी व झमरीदेवी जरिये उत्तराधिकार काबिज हुये। इस प्रकार उपर्युक्त आराजीयात भूमि में 1/0 हिस्सा वादीया गीतादेवी का, 1/9 हिस्सा सुगनाराम का, 1/9 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

गिरधारीलाल का, 1/9 हिस्सा रामनिवास का, 1/0 हिस्सा दयालराम का, 19 हिस्सा कुनणीदेवी का, 1/9 हिस्सा मन्नीदेवी का, 1/0 हिस्सा सन्तोषदेवी व 10 हिस्सा झमरीदेवी का जरिए विरासत रहा। उत्तरदातागण के भाई/पति सुगनाराम का स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गीय सुगनाराम के 1/0 हिस्सो पर उसके वारिसान्/उत्तराधिकारीगण उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 07 ता 10 काबिज मले आ रहे है तथा झमरीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। झमरीदेवी के 1/9 हिस्से पर सजरा परिवार अनुसार काबिज चले आ रहे है। खातेदार धनाराम का स्वर्गवास होने पर राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी इन्द्राज दर्ज करते समय वादीया गीतादेवी का नाम मंजूदेवी दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीया का वास्तविक दस्तावेजी सही नाम गीतादेवी है। मंजूदेवी नामक उत्तरदातागण के कोई बहिन या महिला नहीं है। गीतादेवी व मंजूदेवी नाम की एक ही महिला है जिसका दस्तावेजी नाम गीतादेवी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड व भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में नाम गीतादेवी दर्ज है व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी गीतादेवी व मंजूदेवी नाम की एक ही महिला है का कथन किया हुआ है। खातेदार झमरीदेवी पत्नि धनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर गिरधारीलाल, रामनिवास, दयालराम कुनणीदेवी, मन्नीदेवी, सन्तोषदेवी, गीतादेवी व मृतक खातेदार सुगनाराम के वारिसान् गोदावरी, मनोहर, बोदूरा व मुकेशदेवी को तथा मृतक सुगनाराम के स्थान पर गोदावरी, मनोहर, बोदूराम व मुकेशदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित कर वाद पत्र डिक्री कर दिया जाता है तो इसमें हमारी पूर्ण सहमति है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत लालास का प्रमाण पत्र, जन–आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया गीतादेवी, पी.डब्ल्यू. 2 प्रतिवादी मनोहर, पी.डब्ल्यू. 3 प्रतिवादी रामनिवास के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के पेश किये। साक्ष्य वादी में ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी को बंद की गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया ने अपने वाद पत्र में राजस्व ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा के भाग नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 733/372 रकवा 0.40 हैक्टर कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि वादीया का नाम मंजूदेवी पुत्री धनाराम के बजाय गीतादेवी पुत्री धनाराम करवाना चाहते हैं तथा खातेदार झमरीदेवी पत्नि धनाराम की फौत हो चुकी है इसलिए खातेदार झमरीदेवी पत्नि धनाराम के हक हिस्से में दर्ज 1/9 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है तथा खातेदार सुगनाराम की फौत हो चुकी है इसलिए खातेदार सुगनाराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 10 ने काउंटर क्लेम [illegible] खातेदार झमरीदेवी पत्नि धनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर गिरधारीलाल, [illegible] दयालराम, कुनणीदेवी, मन्नीदेवी, सन्तोषदेवी, गीतादेवी व मृतक खातेदार सुगनाराम [illegible] वारिसान गोदावरी, मनोहर, बोदूराम व मुकेशीदेवी को तथा मृतक सुगनाराम के स्थान पर गोदावरी, मनोहर, बोदूराम व मुकेशदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित कर [illegible] पत्र डिक्री करने पर सहमति दी है। इस प्रकार वादीया के वाद पत्र व प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजा अनुसार राजस्व ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

गत खसरा के भाग नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 733/372 रकवा 0.40 हैक्टर कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि में वादीया का नाम मन्जूदेवी पुत्री धनाराम के स्थान पर गीतादेवी पुत्री धनाराम दुरूस्त कर घोषित करना तथा उक्त भूमि में खातेदार झमरीदेवी पत्नि धनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल, प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास, प्रतिवादी संख्या 2 दयालराम, प्रतिवादी संख्या 4 कुनणीदेवी, प्रतिवादी संख्या 5 मन्नीदेवी, प्रतिवादी संख्या 6 सन्तोषदेवी, वादीया गीतादेवी तथा खातेदार सुगनाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 गोदावरी, प्रतिवादी संख्या 8 मनोहर, प्रतिवादी संख्या 9 बोदूराम व प्रतिवादी संख्या 10 मुकेशीदेवी को तथा खातेदार सुगनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 गोदावरी, प्रतिवादी संख्या 8 मनोहर, प्रतिवादी संख्या 9 बोदूराम व प्रतिवादी संख्या 10 मुकेशीदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा के भाग नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 733/372 रकवा 0.40 हैक्टर कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि में वादीया का नाम मन्जूदेवी पुत्री धनाराम के स्थान पर गीतादेवी पुत्री धनाराम दुरूस्त कर घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 373, 733/372 कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि में खातेदार झमरीदेवी पत्नि धनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 2 दयालराम को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 4 कुनणीदेवी को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 5 मन्नीदेवी को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 6 सन्तोषदेवी को 1/72 हिस्सा का, वादीया गीतादेवी को 1/72 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 7 गोदावरी को 1/288 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 8 मनोहर को 1/288 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 9 बोदूराम को 1/288 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 10 मुकेशीदेवी को 1/288 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 373, 733/372 कुल रकबा 3.55 हैक्टर भूमि में खातेदार सुगनाराम के 1/9 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7 गोदावरी को 1/36 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 8 मनोहर को 1/36 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 9 बोदूराम को 1/36 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 10 मुकेशीदेवी को 1/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु उपतहसीलदार चितावा को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:08 IST
Reason: SelfAttested